संख्या-147/2021/3169/26-3-2021-1(14)/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर 2021

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कछौना हरदोई राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय शेषपुर समौधा जनपद-रायबरेली एवं जनपद-सीतापुर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति महिला छात्रावास में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1426-27/स0क0/ए0टी0एस0-सेल (44-441)/शेषपुर समौधा-कछौना/2021-22, दिनांक-26.10.2021 एवं पत्र संख्या-426-27/स0क0/विकास/ छात्रावास-उपभोग/2020-21, दिनांक-10.09.2021 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कछौना, हरदोई, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, शेषपुर समौधा, जनपद-रायबरेली एवं राजकीय अनुसूचित जाति (महिला) छात्रावास, जनपद-सीतापुर के भवन मरम्मत कार्य हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय हे कि शासनादेश संख्या-125/2019/2021/26-3-2019, दिनांक-10.05.2019 द्वारा राजकीय अनुसूचित जाति (महिला) छात्रावास, जनपद-सीतापुर के अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू0-131.57 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-12.50 लाख, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कछौना, हरदोइ के मरम्मत कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-503.34 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0-25.00 लाख एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, शेषपुर समौधा, जनपद-रायबरेली के कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-279.25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-25.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कछौना, हरदोई, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, शेषपुर समौधा, जनपद-रायबरेली एवं जनपद-सीतापुर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति महिला छात्रावास के अनुरक्षण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु **द्वितीय किश्त के रूप में रू0-159.00 लाख (एक करोड़ उन्सठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क0सं0	कार्य का नाम/प्रस्ताव	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की गयी धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कछौना, हरदोई।	503.54	25.00	53.00
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, शेषपुर समौधा, जनपद–रायबरेली।	279.25	25.00	53.00
3	राजकीय अनुसूचित जाति महिला छात्रावास जनपद–सीतापुर।	131.57	12.50	53.00
योग–			62.50	159.00

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(7)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण' मद के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

पृसं0-147/2021/3169(1)/26-3-2021 तद्दिनांकः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, हरदोई, रायबरेली एवं सीतापुर।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई, रायबरेली एवं सीतापुर। ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

8- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0।

9- निदेशक, एन0आई0सी0।

10-गार्डफाइल

आज्ञा से,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।